न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास :– हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.)
क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 02/2016/अजमेर (2016/0048)

लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, निवासी रेल्वे बंगला ए–4 माल रोड, जी0एल0 ओ0 अजमेर (कार्यरत वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त, अजमेर)

अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट अजमेर निर्णय क्रमांक 19080/2015 दिंनाक 26.10.2015

———

उपस्थितः 1–श्री करण सिंह खंगारोत अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 09–03–2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 1767 (एसबीबीएल नं0 5259 ए/4 गन) जो उपखण्ड अधिकारी रूडकी द्वारा अपीलार्थी के पिता श्री रघुवीर सिंह के नाम जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अपीलार्थी के पिता रघुवीर सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण अपीलार्थी के नाम हस्तानांतरित किये जाने बाबत जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष आवेदन किया गया । उक्त आवेदन पत्र को जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी के अजमेर जिले के मूल निवासी नहीं होने एवं किसी के द्वारा जान/माल की हानि का कोई खतरा नहीं होने के आधार पर आदेश दिंनाक **26.10.2015** से अस्वीकार कर दिया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर सम्बन्धित अभिलेख तलब किया गया । दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के पिता के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 1767 जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट रूडकी से जारी किया हुआ था एवं लाईसेन्स जिसमें दर्ज शस्त्र एसबीबीएल नं0 5269 ए/4 को अपीलार्थी के पिता का देहान्त हो जाने के कारण स्वयं के नाम हस्तानांतरित कराने हेतु आवेदन जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष आवेदन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसे जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अजमेर द्वारा अपीलार्थी अजमेर जिले के मूल निवासी नहीं होने एवं किसी के द्वारा जान/माल की हानि का कोई खतरा नहीं होने के आधार पर आदेश दिंनाक **26.10.2015** से अस्वीकार कर दिया गया ।

उपरोक्त शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल ऑल इण्डिया का है अपीलान्ट के पिता 90 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति होने से उनका देहान्त के पश्चात लाईसेन्स रद्द करने एवं Family Heir Loom policy के तहत पिता का शस्त्र प्राप्त करने हेतु व नवीनीकरण शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । अपीलार्थी के पिता जीवित रहने के दौरान उनका शस्त्र उन्होने अपने पुत्र अपीलार्थी के नाम हस्तारित करने हेतु शपथ पत्र भी पेश कर दिया था। अपीलार्थी द्वारा अपने पिता का निधन हो जाने पर Family Heir Loom policy के तहत समस्त विधिक उत्तराधिकारियो की अनापत्ति के रूप उनके शपथ पत्र एवं पिता मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपीलार्थी की ओर से समस्त आवश्यक एवं विधिक औपचारिकताऐ पूर्ण करते हुए दस्तावेज पेश कर दिये गये । सभी प्रकार की विधिक एवं वांछित शर्तो को पूर्ण कर दिये जाने के वावजूद भी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर आदेश जारी किया गया जो अविधिक होने के कारण निरस्त होने योग्य है ।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलान्ट द्वारा आवेदन करने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अजमेर द्वारा समस्त औपचारिकताऐं जांच विधिक आधारो के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी के नाम अनुज्ञा पत्र जारी करने का प्रार्थना पत्र केवल इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलार्थी अजमेर जिले का मूल निवासी नहीं है । इस संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी सन् 2007 से अजमेर में निवास कर रहा है एवं केन्द्रिय सेवा में कार्यरत है । अपीलार्थी के नाम अजमेर के निवास बाबत पहचान पत्र, चुनाव की वोटर लिस्ट, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेन्स व अन्य मूल निवासी होने के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो यह प्रमाणित करते है कि अपीलार्थी लम्बे समय से अजमेर में निवास कर रहा है । अतः आक्षेपित आदेश अविधिक होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलार्थी का यह तर्क है कि अजमेर में निवास करने एवं केन्द्रिय सेवा में वरिष्ठ मण्डल सुरक्षाआयुक्त के पद पर रहते हुए उसके द्वारा आपराधिक किस्म के व्यक्तियों एवं आदतन अपराधियों के विरूद्व अभियोजन की कार्यवाहियां अमल में लाई गई एवं आपराधिक रोकथाम के लिए उसे असामाजिक तत्वों के विरूद्व

कार्यवाही करनी पडती है जो अपीलान्ट का सेवा दायित्व है ऐसे में आदतन अपराधियों से अपीलार्थी को जानमाल की हानि होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 26–10–15 को निरस्त करते हुए उसके पिता के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र रद्द कर अपीलार्थी पुत्र के नाम Family Heir Loom policy के तहत जारी करने के निर्देश प्रदान किये जावें ।

अपीलान्ट की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। इसके तहत अपीलांट द्वारा उसके पिता के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र रद्द कर अपीलार्थी पुत्र के नाम Family Heir Loom policy के तहत जारी करने के आवेदन उपरान्त थानाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट ली गई। पुलिस अधीक्षक, अजमेर द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही अपीलार्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया है जो उचित है ।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अजमेर द्वारा उनके आदेश दिनांक 26–10–2015 में आवेदन अस्वीकार किये जाने बाबत अपीलार्थी का अजमेर जिले का मूल निवासी नहीं होना व किसी के द्वारा उनकी जान–माल की हानि का खतरा उत्पन्न नहीं होना अंकित किया है । इसके अतिरिक्त आक्षेपित आदेश में अन्य कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये है । रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अजमेर द्वारा उनके यहां प्रकरण विचाराधीन रहते जिला अधीक्षक अजमेर, तहसीलदार अजमेर, पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 (एटीएस) राजस्थान जयपुर एवम् उप जिला मजिस्ट्रेट रूडकी से रिपोर्ट मंगवाई गई । उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी प्रेषित अपनी रिपोर्ट में आवेदक के विरूद्व कोई विपरीत टिप्पणी अंकित नहीं की गई है । उप जिला मजिस्ट्रेट रूडकी द्वारा अपने सत्यापन में अनुज्ञा पत्र की वैधता की तिथि 26–10–2015 अंकित की गई है । जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 15–10–14 के बिन्दू संख्या 6 में अंकित किया है कि आवेदन अपने रेल्वे सुरक्षा बल में कमाण्डेड के पद पर कार्यरत है । अपने 90 वर्षीय वृद्ध पिता के नाम गन प्राप्त करना चाहता है । Family Heir Loom policy के तहत शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित है । राजस्थान विशेष शाखा जयपुर द्वारा प्रेषित सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 22–8–2014 में आवेदन के विरूद्व कोई संदिग्ध गतिविधियां नहीं पाया जाना अंकित किया है । तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट 28–10–14 में आवेदक का पता वहीं अंकित है जो अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित किया गया है ।

अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण संबंधी उक्त सभी तथ्यों की राज्य सरकार के परिपत्र/आदेशों के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत पुनः जांच होनी अपेक्षित है । हमें अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अजमेर) का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 19080 दिनांक 26.10.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उक्त विवेचन के आलौक में पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 9.3.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर